



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 3 फरवरी, 2026

माघ 14, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6

संख्या 145/81-6-2026-94(पर्या)-2011

लखनऊ, 3 फरवरी, 2026

अधिसूचना

सा0प0नि0-8

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या-14, सन् 1981) की धारा 54 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श के पश्चात् उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 में संशोधन करने के दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात:-

उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) (प्रथम संशोधन)
नियमावली, 2026

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) संक्षिप्त नाम और (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2026 कही जाएगी। प्रारम्भ

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-(1) उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 (जिसे नियम-2 का आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) में, नियम-2 में:- संशोधन

(क) नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान खण्ड (एक) के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक

(विद्यमान खण्ड)

(एक) कोई ईट भट्टा किसी नगर परिषद अथवा नगर निगम के क्षेत्र से 5.0 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा। उपरोक्त निर्बन्धनों के अध्वधीन आवासीय क्षेत्र से कम से कम 500 मीटर दूर स्थापित किया जायेगा, जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 100 से 150 व्यक्तियों की हो अथवा 20 कच्चे या तो पक्के घर हों, किसी आवासीय क्षेत्र से 1.00 किलोमीटर दूर जिनकी जनसंख्या 150 व्यक्तियों अथवा 20 घरों से अधिक, चाहे कच्चे या पक्के हों, से अधिक हों।

(ख) नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान खण्ड (छः) के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक

(विद्यमान खण्ड)

(छः) कोई ईट भट्टा पहले से स्थापित किसी ईट भट्टा से 800 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा।

(ग) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह कि कोई ईट भट्टा जो उत्तर प्रदेश ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के प्रारम्भ होने से पूर्व स्थापित हुआ हो और जिसने सहमति हेतु आवेदन बोर्ड के समक्ष पहले ही जमा किया हो अथवा सहमति/अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाइसेंस/रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र/रायल्टी चालान किसी सरकारी विभाग/प्राधिकारी यथा खनन विभाग, जिला पंचायत और वाणिज्य कर विभाग से प्राप्त कर लिया हो, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि ईट भट्टा, उत्तर प्रदेश ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के प्रारम्भ होने अर्थात् दिनांक 27 जून, 2012 के पूर्व स्थापित किया गया है, को विधिमान्य ईट भट्टा समझा जायेगा। यदि ऐसे ईट भट्टों द्वारा बोर्ड से किसी पूर्व सहमति के बिना उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है, तो ऐसे मामलों में इन ईट भट्टों के प्रचालन हेतु सहमति के लिए आवेदन किये जायेंगे तथा बोर्ड समस्त व्यतिक्रमण वर्ष हेतु एक वर्ष के शुल्क के तीन गुना शास्ति अधिरोपित कर प्रचालन हेतु सहमति जारी करेगा।”

नियम-4 का संशोधन

3-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में दिए गए विद्यमान नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक

(विद्यमान नियम)

भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा ईट भट्टों के लिये यथाअधिसूचित उत्सर्जन मानक और प्रदूषण नियंत्रण पद्धति जिसमें चिमनी की ऊंचाई सम्मिलित है, ईट भट्टे के मामले में पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या-जीएसआर-543 (ई), दिनांक 22 जुलाई, 2009 की अनुसूची 1 में क्रम-संख्या 74 द्वारा अधिसूचित है, लागू होंगे।

स्तम्भ-दो

(एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)

(एक) कोई ईट भट्टा किसी नगर पालिका परिषद, नगर निगम अथवा नगर पंचायत के क्षेत्र से 5.0 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा। उपर्युक्त निर्बन्धनों के अध्वधीन ईट भट्टा आवासों से न्यूनतम 800 मीटर की दूरी पर स्थापित किया जायेगा।

स्तम्भ-दो

(एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)

(छः) कोई ईट भट्टा पहले से स्थापित किसी ईट भट्टा से 1.0 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा।

स्तम्भ-दो

(एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)

4- उत्सर्जन मानक

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा ईट भट्टों के लिये यथाअधिसूचित उत्सर्जन मानक और प्रदूषण नियंत्रण पद्धति जिसमें चिमनी की ऊंचाई सम्मिलित है, ईट भट्टे के मामले में पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या-जीएसआर-143(ई), दिनांक 22 फरवरी, 2022 की अनुसूची 1 में क्रम-संख्या-74 द्वारा अधिसूचित है, लागू होंगे;

स्तम्भ—एक
(विद्यमान नियम)

स्तम्भ—दो
(एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)

परन्तु यह कि ईट भट्टों के स्थल
मापदण्ड के सम्बंध में इस नियमावली का
नियम-2 लागू होगा।

4—उक्त नियमावली में विद्यमान नियम 7 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:—

नये नियम 7—'क'
एवं 7—'ख' का
बढ़ाया जाना

7—(क) यदि सरकार द्वारा अधिसूचित कोई संवेदनशील क्षेत्र जो वायु गुणवत्ता
“संवेदनशील क्षेत्र में गिरावट के कारण वायु उत्सर्जन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित
से सम्बंधित हो रहा है, के सम्बंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्राप्त कोई
अभिभावी आदेश अभिभावी परिवर्तन/आदेश बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत
सक्षम प्राधिकारी के सम्यक् अनुमोदन से स्वीकार्य होगा।

7—(ख) राज्य बोर्ड द्वारा जारी बंदी आदेश के निष्पादन हेतु जिला प्रशासन,
बन्दी आदेश का सम्बंधित पुलिस प्राधिकारी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के
निष्पादन सम्बंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी उत्तरदायी होंगे।

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 145/ LXXXI-6-2026-94(Parya)-2011, dated February 3, 2026:

No. 145/ LXXXI-6-2026-94(Parya)-2011

Dated Lucknow, February 3, 2026

IN exercise of the powers under Section 54 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Act no. 14 of 1981) read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, after consultation with the Uttar Pradesh Pollution Control Board, is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Brick Kilns (Sitting Criteria for Establishment) Rules, 2012, namely:—

**THE UTTAR PRADESH BRICK KILNS (SITTING CRITERIA FOR
ESTABLISHMENT) (FIRST AMENDMENT) RULES, 2026**

1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Brick Kilns (Sitting Criteria For Establishment) (First Amendment) Rules, 2026. Short title and commencement

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2.(1) In the Uttar Pradesh Brick Kilns (Sitting Criteria for Establishment) Rules, 2012 (hereinafter referred to as “said rules”) in rule 2, — Amendment of rule 2

(a) for the existing clause (i) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-I

(Existing Clause)

(i) A brick kiln shall not be established within a distance of 5.0 kilometers from the area of a Municipal Council or Municipal Corporation. Subject to the above restrictions a brick kiln shall be established at least 500 meters away from residential area having minimum population of 100-150 persons or 20 houses either kachha or pucca houses. 1.0 kilometer from a residential area having population of more than 150 persons or more than 20 houses whether kachha or pucca.

COLUMN-II

(Clause as hereby substituted)

(i) A brick kiln shall not be established within a distance of 5.0 kilometers from the area of a Municipal Council, Municipal Corporation or Nagar Panchayat. Subject to the above restrictions, a brick kiln shall be established at a minimum distance of 800 meters from habitation.

(b) for the existing clause (vi) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-I

(Existing Clause)

(vi) a brick kiln shall not be established within a distance of 800 meters from a brick kiln already established;

COLUMN-II

(Clause as hereby substituted)

(vi) a brick kiln shall not be established within a distance of 1.0 kilometer from a brick kiln already established;

(c) at the end, the following proviso shall be *inserted*, namely:-

"Provided that any brick kiln which was established prior to the commencement of the Uttar Pradesh Brick Kilns (Sitting Criteria for Establishment) Rules, 2012 and which have already submitted the Consent Application before the Board or have obtained Consent / Permission / No Objection Certificate / Licence / Registration Certificate / Royalty Challan from any Government Department / Authority like Mining Department, Zila Panchayat and Commercial Tax Department which proves that the brick kiln was established before the commencement of the Uttar Pradesh Brick Kilns (Sitting Criteria for Establishment) Rules, 2012 i.e. 27.06.2012, shall be deemed to be a valid Brick kiln. If production has been started by such brick kiln without any prior consent from the Board, in such cases, these Brick Kilns shall apply for Consent to Operate and the Board shall issue consent to operate the kiln by imposing a penalty of three times of one year fee for all defaulted years."

Amendment
of rule 4

3. In the said rules, for the existing rule 4 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I

(Existing rule)

4. Emission Standards-

The emission standards and Pollution Control System, including height of Chimney for Brick Kilns as notified by Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India vide serial no. 74 of schedule I in notification no. GSR 543 (E) dated 22nd July, 2009 shall be applicable in case of Brick Kilns, issued under the Environment (Protection) Rules, 1986.

COLUMN-II

(Rule as hereby substituted)

4. Emission Standards-

The emission standards and Pollution Control System, including height of chimney for brick kilns, as notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF), Government of India vide Notification no. G.S.R. 143(E) dated 22nd February, 2022 [at serial no. 74 of Schedule I of the Environment (Protection) Rules, 1986] shall be applicable in case of brick kilns issued under the Environment (Protection) Rules, 1986:

COLUMN-I (Existing rule)	COLUMN-II (Rule as hereby substituted)	
	Provided that regarding Sitting Criteria of Brick Kilns, rule 2 of these rules shall be applicable.	
4. In the said rules, <i>after</i> the existing rule 7, the following rules shall be <i>inserted</i> , namely:—		Insertion of new rules 7-A and 7-B
7-A. If any sensitive area notified by Government and which is getting "Prevailing Order with respect to Sensitive Area	adversely affected by air emissions due to deterioration of Air Quality, any prevailing Change/ Order received by the Board from time to time will be accepted with due approval from the competent Authority duly authorized by the Board.	
7-B. District Administration, concerned Police Authorities and Concerned Execution of the Closure Order	Regional Authorities of the State Pollution Control Board shall be responsible for execution of Closure Order issued by the State Board."	

By order,
ANIL KUMAR,
Pramukh Sachiv.